

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की पत्र सं0 7314 / 14-3-980 / 82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की ही भांति रक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि माँगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य "वैधानिक" वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है ।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान वन विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग को अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस संबंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा ।
7. हस्तान्तरित वनभूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपुर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासंभव प्रस्तावित न किया जाय । केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरण की जावेगी ।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग को नर्सरियों / पौधों की एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा प्रदान की जावेगी ।
10. याचक विभाग को हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करेंगे अथवा संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी ।



For Hindalco Industries Limited

 (Vivek Kumar)
 Authorized Signatory

11. सड़क के निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होने के समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय) पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। सार्वजनिक निर्माण द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में यह भी प्रमाण पत्र दी जायेगी कि अब मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेर कर पक्का करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वनभूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र० वन निगम अथवा अन्य कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनकी पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय का भुगतान वन विभाग को करना। 3000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों के पातन निषिद्ध है इसी प्रकार वाज (ओक) के पेड़ों का पातन भी वर्जित हो ऐसे वृक्षों के पातन का निर्णय वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के उपर से विद्युत लाइन से जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा तथा खम्भों की ऊँचाई करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता हो तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर संबंधित वन संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक होगा।
16. यदि नहर आदि के निर्माण भू-क्षरण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई और शर्त लगायी जाती है। याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूरा-पूरा पालन कर लिया अथवा उसका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।



For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)

Authorized Signatory